



## नीतीश कुमार बीमार, बिहार चलाने लायक नहीं

# यदि स्वस्थ हैं तो मुझ पर मानहानि का केस करें, प्रशांत किशोर की चुनौती

छपरा, जनसुराज के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं और बिहार चलाने लायक नहीं हैं।

**मुजफ्फरपुर कांड पर नीतीश को घेरा**  
सारण के छपरा में प्रेस वार्ता में प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में दलित बेटी की बलात्कार और हत्या पर मुख्यमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अभी तक नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया है।

**मुख्यमंत्री की चुप्पी पर उठाया सवाल**  
मुजफ्फरपुर रेप और मर्डर केस पर पत्रकारों के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि मुजफ्फरपुर में निर्भया कांड से भी भयावह घटना होती है, लेकिन इस पर राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से एक भी बयान नहीं आता है। यह कितना असंवेदनशील हालत है।

**कहा- अगर मेरी बात गलत तो जेल भेजें**  
उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। उनकी



शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी नहीं

है कि वे बिहार का नेतृत्व कर सकें। वे

इस पद पर रहने के लिए फिट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात गलत है तो केस कर जेल भेजवा दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर वे स्वस्थ हैं, तो मुझ पर मानहानि का केस करें और कोर्ट में साबित करें कि वे मानसिक रूप से स्वस्थ हैं।

**प्रशांत किशोर के बारे में**  
प्रशांत किशोर को पीके एक चुनावी रणनीतिकार और अब राजनीतिज्ञ हैं। उनका जन्म 1977 में बिहार के बक्सर में हुआ था। उन्होंने राजनीति में आने से पहले 8 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया। उन्होंने कई राजनीतिक दलों

के लिए चुनावी अभियान तैयार किए और सफलता हासिल की, जिनमें 2014 लोकसभा चुनाव, 2015 बिहार विधानसभा चुनाव, 2021 पश्चिम बंगाल चुनाव, 2021 तमिलनाडु चुनाव शामिल हैं।

**जन सुराज के संस्थापक**  
प्रशांत किशोर जन सुराज के संस्थापक हैं। उनका कहना है कि वो बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। उन्होंने कुछ साल पहले चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम छोड़ दिया और बिहार में बदलाव लाने के उद्देश्य से जन सुराज अभियान शुरू किया।

# अफसर श्वेता मिश्रा के यहां रेड में लाखों का कैश मिला

पटना समेत कई शहरों में फ्लैट और जमीन

**पटना**, बिहार प्रशासनिक सेवा (2011 बैच) की अधिकारी श्वेता मिश्रा के कटिहार, पटना और प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) स्थित चार अलग-अलग ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) की विशेष टीम ने गुरुवार को छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उनके ठिकानों से 6.51 लाख रुपये नकद, 16 लाख रुपये के जेवरों, 20 लाख रुपये से अधिक बैंक एवं एफडी में निवेश, पटना समेत कई शहरों में जमीन की खरीद के कई दस्तावेज बरामद किए गए। वर्तमान में कटिहार की लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्वेता मिश्रा पर आरा में डीसीएलआर रहते भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। एसवीयू के अनुसार श्वेता मिश्रा ने अपनी सेवा अवधि के दौरान नाजायज तरीके से अकूत चल-अचल संपत्ति अर्जित की है। जिससे पता चलता है कि अभियुक्त एक भ्रष्ट पदाधिकारी है।

गुरुवार की सुबह एसवीयू की अलग-अलग टीमों ने एक साथ श्वेता मिश्रा के ठिकानों पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान श्वेता मिश्रा का पटना के शेखपुरा स्थित एजी कॉलोनी के आराध्या मेंशन में फ्लैट संख्या -202 मिला। वहीं, एक आलीशान मकान प्रयागराज सदर तहसील में मिला। इसमें अंदरूनी साज-सज्जा पर करीब 30 लाख से 35 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। श्वेता मिश्रा का गाजियाबाद के नूरसराय में एक फ्लैट और उनके नाम से गाजियाबाद के एनएच-58 के राजनगर एक्सटेंशन के ग्राउंड फ्लोर पर शॉपिंग स्पेश (नंबर - जी-14 'गौरस हाई स्ट्रीट') भी पाया गया। छापेमारी के दौरान 1.40 लाख रुपये के जेवरों के रसीद भी मिले हैं। वहीं, बरामद जमीन के दस्तावेजों की जांच की जा रही है।



एसवीयू के अनुसार छापेमारी के पूर्व श्वेता मिश्रा पर कुल 80 लाख 11 हजार 659 रुपये गैरकानूनी तरीके से संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों एवं भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी श्वेता मिश्रा पर ज्ञात स्रोतों के अनुसार प्राथमिकी में दर्ज आरोपों के आधार पर करीब 84.34 प्रतिशत से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला बनता है। किंतु, छापेमारी के बाद पाया गया कि प्राथमिकी में दर्ज आरोपों के अलावा भी करीब 60 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति है।

**विवादों में रही हैं श्वेता मिश्रा**  
बिप्रेसे पदाधिकारी श्वेता मिश्रा बिहार के विभिन्न जिलों में तैनात रही हैं और विवादों के बीच हमेशा ही घिरी रही हैं। इसके पूर्व वे डेहरी (रोहतास), बाल अधिकार संरक्षण आयोग,

पटना, आरा (भोजपुर), में भी विभिन्न पदों पर तैनात रही हैं। आरा में भूमि सुधार उपसमाहता के पद पर तैनाती के दौरान भी उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। उनके खिलाफ एक अन्य मामले में बिहार राज्य महिला आयोग में भी शिकायत की गई थी।

**इन ठिकानों पर हुई छापेमारी**

- 1- कटिहार के मनहारी स्थित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय
- 2- कटिहार समाहरणालय के समीप मिरचाबारी स्थित श्वेता मिश्रा के किराये का मकान
- 3- पटना के शेखपुरा स्थित एजी कॉलोनी के आराध्या मेंशन में फ्लैट नंबर - 202
- 4- श्वेता मिश्रा के प्रयागराज स्थित देवप्रयाग इरोबो संगम वाटिका, टाइप -2 में आवास संख्या-144

## आम के कैरेट के पीछे छिपाकर रखी थी भारी मात्रा में विदेशी शराब, तस्करी का जुगाड़ देख पुलिस के उड़े होश

बिहार में दरभंगा जिले के केवटी थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गुरुवार की देर रात गश्ती के दौरान अवैध शराब के



कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने केवटी थाना क्षेत्र के तीस भमरा पुल के समीप एक पिकअप पर लदी आम के कैरेट में छुपाकर रखी 1074.42 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। सूत्रों ने बताया कि मौके से

पुलिस ने पिकअप वैन को जप्त कर लिया है और उसपर अंकित निबंधन संख्या के आधार पर उसके मालिक की खोज की जा रही है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

## बिहार को मिली ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि

# बाढ़ थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई का ट्रायल रन सफल

बिहार की ऊर्जा क्षमता को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बाढ़ विद्युत ताप परियोजना के प्रथम चरण की तीसरी इकाई (660 मेगावाट) का ट्रायल रन 5 जून को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इससे राज्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने में बड़ी सहायता मिलेगी।

**परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 3300 मेगावाट**  
बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 3300 मेगावाट निर्धारित है, जिसे दो चरणों में विभाजित

किया गया है। प्रथम चरण में 660म3 मेगावाट (कुल 1980 मेगावाट) द्वितीय चरण में 660म2 मेगावाट (कुल 1320 मेगावाट) प्रथम चरण की पहली इकाई नवंबर 2021 में और दूसरी इकाई अगस्त 2023 में ऊर्जा निवृत्त की जा चुकी है। अब तीसरी इकाई के सफल ट्रायल रन के साथ यह चरण भी पूरा हो गया है।

**बिहार को मिलेंगे 1110 मेगावाट**  
प्रथम चरण के अंतर्गत कुल 1980 मेगावाट बिजली उत्पादन में से बिहार को



1110 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। वहीं, द्वितीय चरण के तहत 2016 में पूरी की गई दो इकाइयों से राज्य को पहले ही 1136 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिल रही है।

**ऊर्जा मंत्री ने दी बधाई, मुख्यमंत्री को दिया श्रेय**

इस अवसर पर बिहार के ऊर्जा मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने परियोजना की सफलता पर बधाई दी और कहा कि बाढ़ थर्मल पावर प्लांट राज्य की ऊर्जा आपूर्ति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने कहा, यह

उपलब्धि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व का परिणाम है।

परियोजना के पूर्ण संचालन से औद्योगिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार और घरेलू उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। बाढ़ विद्युत परियोजना से राज्य को न केवल बिजली संकट से राहत मिलेगी, बल्कि औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी। साथ ही, यह परियोजना रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी।